कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2) (ए) के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) विषय– इतिहास (पु./म.) एवं समकक्ष पद (ग्रुप एफ) पे–बेण्ड 9300–34800 पीबी.–2 ग्रेड पे 4800 में वर्ष 2014–15 की रिक्तयों के विरूद्व पुर्व में आयोजित विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में श्री धर्मराज मीणा प्र.अ. राउप्रावि, जीरा–जहाजपुर (भीलवाडा) की जन्म तिथि 09.07.1954 होने के कारण पदौन्नति आदेश जारी नहीं किये गयें। वास्तव में श्री मीणा की जन्म तिथि 09.07.1964 है। जिसका वरिष्ठता सूचि में सही अंकन होने के कारण श्री धर्मराज मीणा जन्म तिथि 09.07.1964 वरिष्ठता क्रमांक 2233/2001–02 वर्ग एस टी को प्राध्यापक स्कूल शिक्षा इतिहास (पुरूष) की वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के प्रति चयन किये जाने के फलस्वरूप इनका पदस्थापन राउमावि, टूकड़ा, पंसं हिण्डोली जिला बून्दी में किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय की धोषण प्राप्त करेगें, की इनके 01.06.2002 को या इसके पश्चात संन्तानोत्पति से संतानो की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदौन्नत कार्मिक के नाम वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद जन्म तिथि एवं अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेगें। अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल ad.estt.dse/@rajsthan.gov.in पर तुरन्त सूचित करेगें। आदेशक में वर्णित वरिष्ठता वर्ष के पश्चात यदि किसी वरिष्ठ अध्यापक का मण्डल परिवर्तन हुआ है, तो उक्त आदेश लागू नहीं होगा एवं संबंधित संस्था प्रधान द्वारा कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाएं तथा तत्काल निदेशालय को वाहक स्तर पर अवगत करवाए।

संबंधित अधिकारी नियत दिनांक 30/7/17 तक पदोन्नती पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोक सेवक अगर पदौन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियंत्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उनहे नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जाएगा। नियंत्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदौन्नत कार्मिक को पदौन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें। कार्यग्रहण करने/पदौन्नति परित्याग की सूचना नियत्रण अधिकारी (संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अन्तिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेगें।

संबंधित सस्था प्रधान कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण के साथ ही इसका इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/इतिहास/डीपीसी–पदस्थापन/2016 दिनांक– 20/7/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. शासन सचिव–शिक्षा, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
5. समस्त शिक्षा उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक)
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)
7. संबंधित संस्था प्रधान
8. संबंधित पदौन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने के साथ उपरोक्त निर्दशानुसार शाला दर्पण में अपने संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगें।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
10. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच
11. निजी रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर